(c) whether Government propose to inquire into the whole matter; and

(d) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF FOOD (SHRI AJIT SINGH): (a) and (b) A quantity of more than 73 lakh tonnes of paddy was procured by FCI and State Government of Punjab/its agencies for Central Pool during the Kharif year 1994-95. Out of this a quantity of 28 lakh tonnes of paddy remained unmilled with the FCI/State Agencies.

In veiw of the need to create storage space, to avoid deterioration in quality of paddy/ resultant rice and to reduce the carrying cost of FCI on these stocks, it was decided to sell paddy at a fixed rate of Rs. 442 per quintal and Rs. 422 per quintal for superfine and fine variety respectively. However, a quantity of only 4.62 lakh tonnes of paddy could be disposed of through open sale. To liquidate the stocks, it became necessary to dispose of paddy through short term tenders to get the best price. With the result, a quantity of 5.08 lakh tonnes of paddy could be disposed of at a reserve price of Rs. 395 per quintal and Rs. 375 per quintal for superfine and fine variety respectively. Had this quantity not been disposed of, the FCI would have spent a substantial amount on carrying cost of these stocks. Therefore, the loss sustained on disposal of paddy is negligible when compared to the savings on carrying cost and other resultant losses.

(c) No, Sir.

(d) Does not arise.

Losses incurred by Maharashtra due to decontrol of sugar

1838. SHRI SHIVAJIRAO GIRIDHAR PATIL:

SHRI V.N. GADGIL:

Will the Minister of FOOD be pleased to state:

(a) whether Government of Maharashtra has made a representation that it incurred losses, when orders were issued to freeze stock of sugar by Government of Maharashtra to District Collectors/Controller of Rationing, Bombay consequent upon decontrol of sugar by the Central Government from 16th August, 1978;

(b) whether Government of Maharashtra has now sent the revised claims as required by the Central Government; and

(c) the reasons due to which the claim has not been settled so far?

THE MINISTER OF FOOD (SHRI AJIT SINGH) (a) Yes, Sir.

(b) and (c) The revised claims have been submitted, but the stock position on 16.8.1978 is yet to be furnished by the Government of Maharashtra. The documentation is incomplete in the absence of the stock position.

निर्यात दायित्व के लिए कानूनी प्रतिबद्धता खण्ड

1839. श्रीमती सुषमा स्वराज:

श्री राम जेठमलानी:

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 6 जून, 1995 को "आब्जर्वर" में "लीगल अंडरटेकिंग क्लाज फार एक्सपोर्ट आब्लीगेशन गोज" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या आयात-निर्यात नीति में किए गए सुधारों के फलस्वरूप व्यापारिक संस्थाओं द्वारा लाइसेंस प्राप्त करने के समय किए गए अनुबंध में निर्यात-संबंधी प्रतिबद्धता के लिए कानूनी कार्यवाही कर पाने की स्थिति को समाप्त कर दिया गया है।

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) यदि नहीं, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने उन औद्योगिक या व्यापारिक संस्थाओं, जिन्होंने 1994-95 में निर्यात वचनबद्धता का पालन नहीं किया है, के विरुद्ध कोई कानूनी कार्यवाही की है; और

(च) यदि हां, तो उनकी कुल संख्या कितनी है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): (क) जी, हां। यह समाचार दिनांक 9.6.95 के "दि आब्जर्वर" में छपा था।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जहां निर्यात दायित्व पूरा करने के मामले में शुल्क छूट योजना और ईपीसीजी योजना के तहत बची शुल्क राशि के लिए प्रतिभूति एवं सिक्यूरिटी सहित बन्ध

पत्र सीमाशुल्क प्राधिकारियों को प्रस्तुत करना होता है, वहीं आवेदक से यह अपेक्षा है कि वह इन योजनाओं के तहत लाइसेंस पाने के लिए निर्धारित प्रपत्र में एक घोषणा-पत्र/वचनपत्र दे।

(ङ) और (च) शुल्क छूट योजना और ईपीसीजी योजना के तहत निर्यात दायित्व की पूर्ति को लाइसेंसिंग प्राधिकारी मानीटर करते हैं और ये उन मामलों में विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 और उसके तहत बनाए गए आदेशों तथा नियमों के अधीन यथोचित कार्यवाही करते हैं जिनमें अनुमत अवधि के भीतर निर्धारित निर्यात दायित्व की पूर्ति में कमी रह गई हो। चूंकि शुल्क छूट योजना और ईपीसीजी योजना के तहत वर्ष 1994-95 में जारी लाइसेंसों से संबंधित निर्यात दायित्व की अवधि वर्ष 1994-95 के बाद तक बढ़ाई जाएगी अत: ऐसे मामलों में निर्यात दायित्व को पूरा नहीं किए जाने पर कोई कानूनी कार्यवाही किए जाने का प्रश्न नहीं उठता। किन्तु, पहले की अवधि के दौरान जारी लाइसेंसों के संबंध में की गई चूक के मामलों में यथोचित अर्थदण्ड की कार्यवाही की जाती है।

Per Capita Distribution of Levy Sugar

1840. SHRI NARAIN PRASAD GUPTA:
SHRI GOVINDRAM MIRI:

Will the Minister of FOOD be pleased to state:

(a) whether sugar is provided to Madhya Pradesh as per norms; if not, when the same will be provided;

(b) whether the margin money for sugar distribution has not been re-determined for a long time; and

(c) whether Government are considering upon any scheme to enhance margin money?

THE MINISTER OF FOOD (SHRI AJIT SINGH): (a) Yes, Sir. The allocation of levy sugar to Madhya Pradesh is being made on the norms of ensuring minimum 425 gms. per capita monthly availability for the projected population as on 1.10.1986.

(b) and (c) The margins for wholesalers and retailers were enhanced w.e.f. 1.4.1993. Guidelines for fresh margins w.e.f. 1.4.1994 were circulated for receiving proposals from State Governments. Madhya Pradesh Government was also requested to submit a detailed proposal as per the guidelines. However, the proposal from Madhya Pradesh Government is yet to be received.

निजी सुरक्षा एजेंसियों द्वारा शोषण

1841. श्री कामेश्वर पासवान: क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि: (क) क्या सरकार को निजी सुरक्षा एजेंसियों द्वारा बेरोजगार युवाओं का शोषण किये जाने की जानकारी है,

(ख) क्या अधिकांश सुरक्षा एजेंसियां सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से कम पारिश्रमिक देती है,

(ग) यदि हां, तो इन सुरक्षा एजेंसियों द्वारा किये जा रहे श्रम के शोषण को रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या उपाय किये जाने की संभावना है, और

(घ) यदि नहीं, तो सरकार ने इस संबंध में क्या दिशा-निर्देश जारी किए हैं और वे कितने उपयोगी सिद्ध हो रहे हैं?

श्रम मंत्री (श्री पी॰ए॰ संगमा): (क) और (ख) निजी सुरक्षा एजेंसियों द्वारा बेरोजगार युवाओं को शोषण किए जाने के संबंध में सरकार को कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) और (घ) निजी सुरक्षा एजेंसियों के कार्यकरण को स्ट्रीमलाइन करने और निजी सुरक्षा गार्ड्स एजेंसियों के नियमन में एक रूपता लाने के प्रयोजन से, 14.12.94 को निजी सुरक्षा गार्ड्स और एजेंसीज (विनियमन) विधेयक, 1994 को राज्य सभा में पुर:स्थापित किया गया था, जिसकी अभी गृह मंत्रालय की संसदीय स्थायी समिति द्वारा जांच-पड़ताल की जा रही है। प्रस्तावित विधेयक में अन्य बातों के साथ-साथ न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अनुपालन से संबंधित उपबंध शामिल किए गए हैं।

Decline in Growth Rate of Tea

1842. SHRI B.K. HARIPRASAD: Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) whether the rate of growth for tea has declined in terms of domestic consumption and also in terms of per capita consumption of tea;

(b) whether there have been consistent set-back in the export prospects for tea, especially in the wake of embargo threatened by German importers of Indian tea on grounds of deployment of child labour in Indian tea plantations/processing units and also higher level of chemical pesticide residues than the maximum residue level (MRL) permitted by German laws; and

(c) whether Government propose to devise a new strategy for promoting tea as national beverage and boost its domestic consumption?